कार्यालय अधिष्ठाता

शासकीय चिकित्सा महाविद्यालय, दतिया (म.प्र.)

टेलीफोन नं. 07522—234001
E mail Id- datiamedicalcollege@gmail.com Website- www.datiamedicalcollege.com
datiamedicalcollege2018@gmail.com
पता— 29 बटालियन के पास, एन.एच. 75, जिला दतिया, म.प्र. पिन कोड 475661

क्रमांक — 5235 /द.चि.म./2018 /दतिया, दिनांक—08/08/2018

प्रति,

श्रीमान् आयुक्त,

जनसंपर्क विभाग,

भोपाल, म.प्र.

विषयः— **शासकीय चिकित्सा महाविद्यालय, दतिया में रिक्त पदों पर आवेदनों की तिथि बढ़ाने विषयक।**

शासकीय चिकित्सा महाविद्यालय, दतिया, म.प्र. में रिक्त पदों पर पर्याप्त संख्या में आवेदन प्राप्त नहीं हुए हैं। अतः आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तिथि 07/08/2018 से बढ़ाकर 20/08/2018 किया जाना निश्चित हुआ है।

अतः आपसे निवेदन है कि संशोधित तिथि की विज्ञप्ति जारी करने का कष्ट करें।

संलग्न :— संशोधित विज्ञप्ति की सूचना एवं संशोधित विज्ञप्ति।

अधिष्ठाता
शासकीय चिकित्सा महाविद्यालय
दतिया (म.प्र.)

कार्यालय अधिष्ठाता

शासकीय चिकित्सा महाविद्यालय, दतिया (म.प्र.)

टेलीफोन नं. 07522–235108, 234553

E mail Id- datiamedicalcollege@gmail.com Website- www.datiamedicalcollege.com
datiamedicalcollege2018@gmail.com

पता– 29 वी बटालियन के पास, एन.एच. 75, जिला दतिया, म.प्र. पिन कोड–475661

क्रमांक – 5236 /द.चि.म./2018 दतिया, दिनांक–08/08/2018

//संशोधित विज्ञप्ति सूचना//

मध्यप्रदेश शासन, चिकित्सा शिक्षा विभाग, मंत्रालय भोपाल के ज्ञापन क्रमांक एफ2–53/2017/1/55 दिनांक 12/01/2018 द्वारा मध्यप्रदेश स्वशासी चिकित्सा महाविद्यालय शैक्षणिक आदर्श सेवा नियम 2018 के अंतर्गत शासकीय चिकित्सा महाविद्यालय, दतिया के अधीन प्राध्यापक, सह–प्राध्यापक एवं सहायक–प्राध्यापक के विभिन्न विभागों में रिक्त पदों की पूर्ति की जाना है। चूँकि आवेदन पर्याप्त मात्रा में नहीं आ पाए इसलिए आवेदन पत्र की तिथि बढ़ाकर कार्यालय, अधिष्ठाता, शासकीय चिकित्सा महाविद्यालय, दतिया में दिनांक 20/08/2018 सायं 5:30 बजे तक आमंत्रित किये जाते हैं। उपरोक्त विज्ञापन की विस्तृत जानकारी एवं आवेदन पत्र का निर्धारित प्रारूप शासकीय चिकित्सा महाविद्यालय, दतिया, मध्यप्रदेश की वेबसाइट www.datiamedicalcollege.com पर एवं संचालक, चिकित्सा शिक्षा की वेबसाइट www.medicaleducation.mp.gov.in पर उपलब्ध है।

मुख्य कार्यपालन अधिकारी
शासकीय चिकित्सा महाविद्यालय
दतिया

कार्यालय, अधिष्ठाता
शासकीय चिकित्सा महाविद्यालय,दतिया(म.प्र.)

क्रमांक 5237/स्था. /विज्ञप्ति /2018 दिनांक–08/08/2018

//विज्ञप्ति//

मध्यप्रदेश शासन, चिकित्सा शिक्षा विभाग, मंत्रालय भोपाल के ज्ञापन क्रमांक एफ 2–53/2017/1/55 दिनांक 12.01.2018 द्वारा मध्यप्रदेश स्वशासी चिकित्सा महाविद्यालय **शैक्षणिक** आदर्श सेवा नियम 2018 के अन्तर्गत शासकीय चिकित्सा महाविद्यालय, दतिया, म.प्र. के अधीन निम्नलिखित **रिक्त पदों की पूर्ति की जाना है**। इस हेतु निर्धारित प्रपत्र में आवेदन पत्र आमंत्रित किये जाते हैं।

प्राध्यापक/सह प्राध्यापक/सहायक प्राध्यापक/प्रदर्शक–(टयूटर) के पद हेतु विज्ञापन रोस्टर

क्र.	विषय	प्राध्यापक				सह प्राध्यापक				सहायक प्राध्यापक				प्रदर्शक–(टयूटर)			
		UR	SC	ST	OBC	UR	SC	ST	OBC	UR	SC	ST	OBC	UR	SC	ST	OBC
1	एनाटॉमी															1	
2	फार्माकोलॉजी															1	
3	पैथोलॉजी											1					
4	फॉरेंसिक मेडिसिन	1															
5	कम्यूनिटी मेडिसिन							1								1	
6	जनरल मेडिसिन					1		1				1					
7	पीडियाट्रिक्स	1										1					
8	टुबरकुलोसिस एण्ड रेस्पिरेटरी डिसीज	1															
9	डर्मेटोलॉजी					1				1							
10	साईकेट्री									1							
11	जनरल सर्जरी	1				1		1									
12	आर्थोपेडिक्स											1					
13	आटो–रहिनो–लारयगों लॉजी	1															
14	स्त्री एवं प्रसूति रोग विभाग	1										1					
15	एनेस्थिसियोलॉजी	1				1		1			1	1					
16	रेडियो डायग्नोसिस	1				1				1							
17	डेन्टिस्ट्री	1				1											

उपरोक्त चिन्हित पदों में SC = अनुसूचित जाति, ST = अनुसूचित जनजाति ,OBC = अन्य पिछड़ा वर्ग हेतु आरक्षित हैं, UR = अनारक्षित । म.प्र. शासन सामान्य प्रशासन विभाग के ज्ञापन क्रमांक सी/3–2/97/3/एक दिनांक 10 फरवरी 1997 के अनुसार 30 प्रतिशत पद महिला अभ्यर्थियों के लिये आरक्षित रहेंगे।
पदों की संख्या में कमी/वृद्धि की जा सकती है ।

1. **वेतनमान –** **नियमित नियुक्ति हेतु**
   - प्राध्यापक – 37400–67000+ ग्रेड–पे 10000 + डी.ए.
   - सह प्राध्यापक – 37400–67000+ ग्रेड–पे 9000 + डी.ए.
   - सहायक प्राध्यापक – 15600–39100+ ग्रेड–पे 7000 + डी.ए.
   - प्रदर्शक/ ट्यूटर – 15600–39100+ ग्रेड–पे 6000 + डी.ए.

   टीप – समस्त पदों के लिये राज्य शासन द्वारा समय समय पर स्वीकृत वेतनमान/निश्चित मानदेय एवं अन्य भत्ते आदि देय होंगे।

2. **आयु सीमा –**

		न्यूनतम	अधिकतम
प्राध्यापक	–	35 वर्ष	62 वर्ष
सह प्राध्यापक	–	30 वर्ष	
सहायक प्राध्यापक	–	25 वर्ष	
प्रदर्शक/ट्यूटर	–	22 वर्ष	

   टीप – आयु की गणना विज्ञापन जारी होने वाली तिथि के पश्चात आने वाली 01 जनवरी के दिनांक को आधार मानकर गणना में ली जावेगी।

3. पदों पर आरक्षण राज्य शासन के द्वारा समय समय पर जारी आदेशों के अनुसार होगा ।
   - **जाति प्रमाण पत्र : आरक्षण का लाभ सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी जाति प्रमाण–पत्र प्रस्तुत करने पर ही दिया जायेगा।**
4. **अर्हतायें :–**
   - भारतीय आयुर्विज्ञान परिषद् द्वारा शैक्षणिक पद विशेष के लिए निर्धारित अर्हता।

5. **निरर्हतायें–**

5.1 विकृत चित्त वाला होने पर।

5.2 दुष्चरित्र होने पर।

5.3 शारीरिक दुर्बलता के कारण व्यक्ति अपने कर्तव्य बोध एवं दायित्व को पूरा नहीं कर सकता हो।

5.4 नियुक्ति के लिये प्रयास/अनुशंसा – किसी भी उम्मीदवार की ओर से अपनी उम्मीदवारी की सहायता प्राप्त करने हेतु किसी भी जरिये से किया गया कोई भी प्रयास/अनुशंसा उसके लिये अनर्हकारी माना जायेगा।

5.5 विवाह संबंधी – जिस उम्मीदवार ने न्यूनतम निर्धारित आयु (पुरूष वर्ग के लिये 21 वर्ष एवं महिला वर्ग के लिये 18 वर्ष) से पूर्व विवाह कर लिया होगा उसे इन पदों पर चयन हेतु अयोग्य माना जायेगा। कोई भी ऐसे महिला/पुरूष उम्मीदवार जिसने किसी ऐसे पुरूष/महिला से विवाह किया हो, जिसकी पहले से जीवित पत्नी/पति हो, ऐसे महिला/पुरूष नियुक्ति के लिये पात्र नहीं होंगे।

5.6 कूट रचित/फर्जी दस्तावेज एवं चयन के स्तर पर जानकारी छिपाये जाने/अभिलेख फेरबदल कर प्रस्तुत करने पर।

5.7 कदाचरण संबंधी – किसी भी ऐसे उम्मीदवार को नियुक्त नहीं किया जावेगा, यदि उसने शासन या स्थानीय प्राधिकारी की सेवा के कदाचरण के लिये परिणामस्वरूप पदच्युत कर दिया गया हो यदि उसे नैतिक पतन के अपराध पर दोष सिद्ध ठहराया गया हो।

5.8 ऐसा उम्मीदवार जिसके विरूद्ध नैतिक पतन का आपराधिक प्रकरण न्यायालय मे विचाराधीन है अथवा वह नैतिक पतन के आपराधिक मामले में दोष सिद्ध हुआ हो।

5.9 स्वास्थ्य संबंधी – चिकित्सा महाविद्यालय के चिकित्सक जिसका पद सिविल सर्जन से कम न हो, के द्वारा स्वास्थ्य परीक्षण पश्चात् शारीरिक एवं मानसिक रूप से स्वस्थ पाया जाए तथा वह ऐसा प्रमाण पत्र जारी करें।

6. सभी पदों पर चयनित अभ्यर्थी की नियुक्ति प्रथमतः **एक वर्ष की अवधि** के लिये परीवीक्षा पर अनुबंध पर की जावेगी।

7. स्वशासी चिकित्सा महाविद्यालय में सेवारत व्यक्ति, जो सीधी भर्ती के पद के लिये अर्हताधारी हो सीधी भर्ती के पद के विरूद्ध आवेदन देने के लिये स्वतन्त्र होगा ओर ऐसे आवेदन के लिये उसे नियोक्ता से अनापत्ति प्रमाण पत्र नही लेना होगा ।

8. चिकित्सा शिक्षक को उसके पद के अनुरूप कर्त्तव्यों का तथा समय–समय पर सौपे गये प्रशासनिक दायित्वों का निर्वहन करना होगा।

9. ऐसे चिकित्सा शिक्षक जिनकी नियुक्ति राज्य शासन द्वारा मध्यप्रदेश चिकित्सा शिक्षा (राजपत्रित) सेवा भर्ती नियम 1987 के तहत की हो के द्वारा उच्च पद के लिये आवेदन किया जाता है और यदि उसका चयन किया जाता है तो वह स्वशासी चिकित्सा महाविद्यालय में ऐसे वरिष्ठ पद पर लिया जा सकेगा।

10. आवेदक का चयन होने पर उसे 65 वर्ष की उम्र अथवा नियुक्ति दिनांक से 03 वर्ष, जो भी पहले हो तक संबंधित स्वशासी महाविद्यालय में सेवायें देनी होगी । आवेदक को इस बाबत् सम्यक रूप से स्टांपित एक बांड नियुक्ति के समय भरना होगा एवं इस शर्त के उल्लंघन पर उसे एक वर्ष के वेतन /मानदेय के बराबर की राशि महाविद्यालय को चुकानी होगी ।

11. मध्य प्रदेश शासन के स्वशासी चिकित्सा महाविद्यालय मे कार्यरत चिकित्सक हेतु प्रतिनियुक्ति के लिये मूल नियोक्ता की सहमति अनिवार्य होगी।

12. **आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तिथि** : शासकीय चिकित्सा महाविद्यालय, दतिया, म.प्र. में आवेदन पत्र दिनांक **20.08.2018 सायं 05:30 बजे** तक प्राप्त हो जाना चाहिये। आवेदन पत्र डाक द्वारा, अथवा व्यक्तिगत रूप से कार्यालय अधिष्ठाता, शासकीय चिकित्सा महाविद्यालय, दतिया में जमा कराये जा सकते हैं। किसी भी स्थिति में निर्धारित तिथि एवं समय से पश्चात् प्राप्त होने वाले आवेदनों पर विचार नहीं किया जावेगा।

13. चयन प्रक्रिया हेतु किसी भी प्रकार का यात्रा भत्ता देय नही होगा।

14. उपरोक्त विज्ञापन की जानकारी एवं आवेदन पत्र का निर्धारित प्रारूप शासकीय चिकित्सा महाविद्यालय, दतिया मध्यप्रदेश की वेबसाईट www.datiamedicalcollege.com एवं www.medicaleducation.mp.gov.in पर भी देखे जा सकते हैं।

महत्वपूर्ण टीप :– यह सुनिश्चित करने की जिम्मेदारी स्वयं आवेदक की होगी कि वे अपने आवेदित पद के लिये निर्धारित समस्त अर्हतायें और शर्तो को पूरा करते है। अतः आवेदन करने के पहले आवेदक अपनी अर्हता की जांच स्वयं करे ले ओर अर्हता की समस्त शर्ते पूरा करने पर ही आवेदन पत्र भरे। चयन के किसी भी स्तर पर आवेदक के अनर्ह पाये जाने पर उसका आवेदन पत्र निरस्त कर उसकी उम्मीदवारी समाप्त की जायेगी। आवेदक के विरूद्ध पुलिस प्रकरण अथवा किसी भी प्रकार की जांच न हो जिसके कारण आवेदक की नियुक्ति प्रभावित होती हो, इस आशय से संबंधित घोषणा पत्र जो की आवेदन के प्रारूप में दिया गया है। यह शर्त भी उसमें समाहित रहेगी।

मुख्य कार्यपालन अधिकारी एवं अधिष्ठाता
शासकीय चिकित्सा महाविद्यालय,
दतिया